

निःशक्तजनों की भर्ती के लिए विशेष अभियान के तहत अराज्यस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र

आवेदक का
स्वयं द्वारा
हस्ताक्षरित नवीन
पासपोर्ट साईज
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम
2. निःशक्तता का प्रकार
(छायाप्रति संलग्न करें) प्रकार.....प्रतिशत.....
3. आवेदक का पूरा नाम
4. पिता/पति का नाम
5. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता
6. स्थाई पता
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर
8. रोजगार कार्यालय का जीवित
पंजीयन क्रमांक/दिनांक
- 01 जनवरी 2024 को (क) आयु वर्ष..... माह..... दिन.....
(ख) जन्मतिथि.....
9. आवेदक की श्रेणी का विवरण
- (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर)

10. शैक्षणिक योग्यताएं:-

स.क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.						

11. यदि आवेदक विवाहित है तो
जीवित संतानों की संख्या *
अंतिम संतान की जन्मतिथि
12. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी(हाँ/नहीं) हों की स्थिति में प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. अनुभव :-

पदनाम	वेतनमान	विभाग का नाम एवं पता	सेवा की वर्तमान स्थिति
1.	2.	3.	4.

14. बिन्दु क्रमांक-13 के अनुसार यदि आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय/संविदा का कर्मचारी रहा हो तो कार्यरत अवधि/पदनाम/कार्यालय/विभाग का नाम विवरण सहित जानकारी दें -
- विभाग का नाम
- कार्यालय का नाम
- कार्यरत अवधि
- पदनाम
- सेवारत है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।
- अन्य योग्यताएँ कोई हो
- संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पता

.....

शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं यह सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/परिक्षेत्र..... के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन की सभी शर्तों की अर्हता रखता/रखती हूँ एवं उक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये, सभी प्रमाण-पत्र एवं विवरण मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी/अभिलेख सत्य एवं सही हैं। प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर मेरे द्वारा दिये जा रहे शपथ-पत्र के परिप्रेक्ष्य में मेरे ऊपर नियमानुसार दण्डिक कार्यवाही की जा सकती है। भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समस्त उत्तरदायित्व मेरा व्यक्तिगत होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम एवं वर्तमान पता (पिन कोड सहित स्पष्ट अक्षरों में)


.....

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें :-

01. मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम, 2011 के अनुसार पदों पर चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।
02. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/13, दिनांक 03.11.12 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र.सी. 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी.3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
03. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र.का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक है।

1. आवेदन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने पर संबंधित वर्ग का प्रमाण-पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। नोट-भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यू.डी.आई.डी पोर्टल नामतः <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
06. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं तथा साक्षात्कार/चयन के समय सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कराना होगा।
07. साक्षात्कार के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पेनकार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध कराया जाना होगा।
08. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट सूची के अनुसार होगा।
09. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/संविदा पर कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
10. आवेदक का मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
11. आवेदक का आधार पंजीयन अनिवार्य हैं।
12. आवेदक के पास विज्ञापित पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए।
13. अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। उपरोक्त सरल क्रमांक -1 में दर्शाये गये सभी पद अस्थाई हैं तथा चयन किये गये उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा (probation) पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
14. चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
15. असत्य/भ्रामक जानकारी देने पर आवेदक को साक्षात्कार/चयन के किसी भी स्तर से वंचित करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

16. शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाए।
17. मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य किया जाए।
18. समस्त पत्र व्यवहार आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पते पर किया जावेगा।
19. विज्ञापित रिक्त पदों की अनुमानित संख्या को कम/अधिक/निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता को होगा।
20. आवेदकों के चयन के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर का ही मान्य होगा।


मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर